राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सीमा कँवर बनाम जगदीश 12/3/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 12/05/2026 को पेश हो।	
12/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/05/2026 को पेश हो।	
15/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीयां ने पैतृक भूमि के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा व तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीयां के पक्ष में अन्तरिम आदेश दिनांक 20/05/2025 पारित किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. द्वारा जवाब वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09/07/2025 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु आवश्यक तीनो बिन्दुओ क्रमश: प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का परिक्षण/विवेचन नही किया गया है एवं सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज फरमा दिया गया है, जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटीपूर्ण प्रतीत होने से निरस्तनीय जाहिर होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09/07/2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सीमा कँवर बनाम जगदीश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1213/2025	अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	